तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2017 अनवान लहरी देवी वगैरा बनाम सायरीदेवी वगैरा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	
31.07.2019	वकुलाय उपस्थिति। प्रार्थीगण्ण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के स्व. पिता श्री आदाराम जी की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम भाण्डू खुर्द, तहसील लूणी के खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त जमीन पर प्रार्थीगण अपने पिता के से ही काबिज चले आ रहे है। उक्त सम्पति प्रार्थीगण के पिता क सह खातेदारी की रही। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु लगभग 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। तथा प्रार्थीगण के माताजी का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हो चुका है। प्राथीगण पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमीन में बतौर काश्तकार काबिज चली आ रही है। इस तरह प्रथम दृष्ट्या मामला प्राथीगण के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण के एक मात्र भाई रघुनाथराम ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 12.10.2001 को गलत रूप से प्रार्थीगण का नाम छुपाते हुए अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त म्यूटेशन संख्या 314 विधि विरूद्व था जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक है। इस तरह अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 अपने पति रघुनाथराम की मृत्यु दिनांक 30.07.2016 के पश्चात उक्त सम्पति शामलाती है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 जमीन का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 न तो स्वंय ना ही किसी अन्य द्वारा बेचान, मुंतकिल, रहन इत्यादि करें। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 32 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा पर प्रार्थीगण किसी हिस्से पर काबिज नही है न ही आदारामजी के जीवन काल में काबिज रही। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसका पुत्र सह खातेदार के रूप में काबिज है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नही किया है। इस कारण भी वाद काबिज निरस्त है। प्रशासन गांवो के संग अभियान में पूर्णतः विधि अनुसार जांच कर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जानकारी थी तथा स्वंय प्रार्थीगण उक्त अभियान के समय मौके पर मौजूद रहकर इन्द्राज करवाने हेतु सहमति प्रदान की थी। प्रार्थीगण की शादी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

वर्षो पूर्व ही हो गई थी जिस समय आदाराम जी प्राथीगण के हिस्से को दहेज रूप में तथा आणे टाणे एवं मायरा के रूप में सम्पूर्ण हक हिस्सा दे दिया था जिससे उनका हिस्सा उन्हे दिया जा चुका है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार भी प्रार्थीगण का वाद बावत घोषणा एवं बंटवाडा के पोषणीय नही होने से काबिज निरस्ती के है। अतः अप्रार्थीनी विवादग्रस्त भूमि की रेकॉर्डड खातेदार है तथा मौके पर एक मात्र अप्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थी का कब्जा किसी भी रूप में नही है। ना ही सभी रेकॉर्डेड खातेदारान को उक्त वाद में पक्षकार बनाया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नही है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। और धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार को ही वाद लाने का अधिकार है। इस कारण से जब उनका मूल वाद ही मेन्टेनेबल नही है तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः खारिज किया जावें।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। लिखित बहस ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किए कि जब प्रार्थीगण का वाद ही मेंटेनेबल नही है तो प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने मूलवाद धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जबकि सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जो धारा 88 व 53 की आवश्यक शर्त है तथा धारा 188 सिर्फ रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कंही भी यह स्पष्ट नही किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की मौरूसी भूमि है अथवा स्वअर्जित भूमि है, ना ही इस सम्बंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे कि मामला प्रथम दृष्ट्या उनके पक्ष में साबित हो। ना ही प्रार्थीगण द्वारा कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कंही स्पष्ट नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 30 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा में से प्रार्थीगण के पिता का कुल कितना हिस्सा बनता है, तथा बिना अन्य सह खातेदारान को पक्षकार बनाए सम्पूर्ण 30 बीघा 12 बिस्वा पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्वना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner